

राज्य-वकील

में,

न्यायालय सहायक एवं कलेक्टर एवं
उपरवर्ण अधिकारी, सराडा
लोक अदालत केम्प कोर्ट - कुसाडिया.

प्राणी: श्रीमती दलुकाई विपक्षी: डाया डांगी

पत्रावली संख्या 3/16

उपरोक्त विषय में अन्तर्गत के प्रकरण प्राणी गण की ओर से निम्न
निवेदन है -

1. यह कि हम वादीगण द्वारा प्रतिवादी गण के विरुद्ध एक स्थाई
निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें माँके पर वर्तमान में
किसी प्रकार की प्रतिवादी गण द्वारा दखलवाजी नहीं
कर रहे हैं।
2. यह कि उक्त वाद को विझे (पल्याहरण) करना चाहते हैं एवं
भाविष्य में किसी प्रकार का विवाद होता है तो पुनः वाद की
पेश करने की स्वातंत्रता के साथ उक्त वाद को विझे (पल्याहरण)
करने की स्वीकृति पदान करावे।

कान: श्रीमान से निवेदन है कि हम प्राणीगण द्वारा पेश
प्राणी-पत्र स्वीकार करवाया जा कर वाद विझे कर देने की
स्वीकृति पदान करावे।

(Signature)

दि  दानदेवी

दिनांक 17.06.2016

(Signature)

गो इजी
प्रत्यक्ष न ही

गो या प्रतिवादी रे

काशन अधिकारी
काशन

28 $\frac{4}{16}$

शुक्रवादि

पञ्जावली पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी का कार्य भार उपखण्ड अधिकारी श्रधभदेव के पास होने एवं श्रधभदेव के कार्य से त्वरन्त होने से पञ्जावली दिनांक 24-6-16 को पेश हो।

17-6-16

पञ्जावली केम्प कुवाडिया में पेश हुई। प्राथमिकी 2, 3 स्वंत्र उपस्थित। आडिवा 29 सिपम। (अ) के अन्तर्गत धात। ISCPSC की प्रार्थना पर प्रस्तुत किया विपक्षीय के विरुद्ध मॉडे पर 5 खण्डाकी नही कटने का निवेदन किया जिस पर खुना गया तथा उम्त वाद सिद्धो करने की अनुमति दायी गी स्वीकार की जाकर

पञ्जावली फॉल्ल शुमाट होकर 5 फ्लर सखिल है।

(1) 17/6/16

पञ्जावली दिनांक 24-6-16 को पेश हो।